

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

## विनिकन कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2002 (श्रावण 3, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रबन्धनोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर इच्छा जाना

श्री हरवेश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटररडान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की नियन्त्रित अधिसूचनाएँ पटल पर रखेंगे -

- (क) एफ-22-213-2001-आठ, दिनांक 20 सितम्बर, 2001,
- (ख) एफ-22-213-2001-आठ, दिनांक 26 नवम्बर, 2001; तथा
- (ग) एफ-22-39-2000-आठ, दिनांक 6 जून, 2002.

### 3. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) श्री मुशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम मेखड़ाहेड़ी में ओंशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के आमाह में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बुजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम चौमो में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,

(2) श्री मानलाल गोड़ल, सदस्य, टीकमगढ़ नार के ईदगाह मुहल्ला की लब-कुश कमलोनी में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने,

(उ) श्री जयसिंह मराली, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) जनपद चैतायल कोतमा से ग्राम निगावानी तक नाबाड़ से सड़क बनाये जाने; तथा

(ख) ग्राम भुमकार में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

### 6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित

समय

1. घन्टा: प्रदेश में अधोधित विद्युत कटौती से उत्पन्न विद्युत के संबंध में चर्चा का पुनर्गमन.  
30 मि.  
(शेष 50 मि.)

भोपाल :  
दिनांक : 24 जुलाई, 2002

डॉ. प. के. पद्माली  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.